(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 87 **नई दिल्ली** **27 मार्च 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, जेएनपीटी में, कंटेनर टर्मिनल पर, आईसीडी कंटेनरों के आंतरिक टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालनों के लिए, प्रभारों के संशोधन हेतु एक प्रस्ताव दाखिल करने के लिए समय सीमा के विस्तार हेतु जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के अनुरोध को निपटारा करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

<u>प्रकरण सं.टीएएमपी/23/2007 - जेएनपीटी</u>

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास — आवेदक

<u>आदेश</u>

(अप्रैल 2008 के वें दिन पारित)

यह प्रकरण जेएनपीटी पर इण्लेण्ड क्लियरन्स डिपो (आईसीडी) कंटेनरों के आंतरिक टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालनों के लिए प्रभारों के संशोधन हेतु, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबन्धित है ।

2. इस प्राधिकरण ने, आदेश दिनांक 28 जनवरी 2008 द्वारा जेएनपीटी में, कंटेनर टर्मिनलस् पर आईसीडी कंटेनरों के आंतरिक टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालनों (आईटीआरएचओ) के लिए प्रभारों के संशोधन हेतु, जेएनपीटी के प्रस्ताव का निपटारा किया। आईटीआरएचओ के प्रति, प्रत्येक टीईयू के दर रू. 400/- की वैधता को 15 अगस्त, 2007 से 30 जून 2008 तक की अवधि के लिए विस्तार किया गया था और जेएनपीटी को यह निदेशित किया गया था कि वे, रेल द्वारा ढुलाई किये जानेवाले आईसीडी कंटेनरों के विषय में, एक प्रशुल्क व्यवस्था हेतु, लागत विवरण सहित एक सुविश्लेषित प्रस्ताव को 31 मार्च, 2008 तक दाखिल करें।

3. जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 मार्च 2008 द्वारा इस प्राधिकरण से, इस आधार पर कि वे दरमान के सामान्य संशोधन हेतु, प्रस्ताव विरचित करने में व्यस्त हैं इसलिए रेल द्वारा ढुलाई किये जानेवाले आईसीडी कंटेनरों के आईटीआरएचओ के लिए प्रभारों के निर्धारण करने हेतु अपने प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून, 2008 तक, समय प्रदान करने का अनुराध किया है।

4. रेल द्वारा ढुलाई किये जानेवाले आईसीडी कंटेनरों के आईटीआरएचओ के लिए प्रभारों के निर्धारण करने हेतु अपने प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून, 2008 तक समय विस्तार के जेएनपीटी के अनुरोध को मानने के लिए यह प्राधिकरण प्रवृत्त है।

5. जेएनपीटी द्वारा दाखिल किये जानेवाले प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित समय को विचार में लेते हुए, इस प्राधिकरण द्वारा, दिनांक 28 जनवरी 2008 के आदेश द्वारा अनुमोदित 30 जून, 2008 तक प्रति टीईयू के रू. 400/- के दर की वैधता का विस्तार करना भी आवश्यक होता है। तदनुसार, प्रति टीईयू के रू. 400/- दर की वैधता, 30 सितंबर, 2008 तक अथवा जेएनपीटी द्वारा दाखिल किये जानेवाले प्रस्ताव पर, इस प्राधिकरण द्वारा पारित किये जानेवाले आदेश की कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक - इनमें से जो भी पहले हो तब तक विस्तारित किया जाता है।

6. जेएनपीटी को यह निदेशित किया जाता है कि वे अपने प्रस्ताव को अपेक्षित लागत विवरणों सहित 30 जून 2008 तक दाखिल करें।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष